न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/91/2025 वाद — **दायर दिनांक 06.08.2025**

उनवान

1. रतनलाल पिता रामा जाति खटीक आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन के बजाय–
   1/1– नारायण लाल पिता रतनलाल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   1/2– रणजीत पिता रतनलाल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. किशनलाल पिता रामा जाति खटीक आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—वादीगण

1. शान्तिलाल पिता प्रताप जाति खटीक आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ के बजाय–
   1/1– किशनीदेवी पत्नी भैरूलाल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. नारायणलाल पिता मांगीया जाति खटीक आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. कमली पिता मांगीया पत्नी प्रेमशंकर जाति खटीक आयु वयस्क निवासी सिंहपुर हाल इन्द्रा कॉलोनी नारेला तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
4. रतनी पिता मांगीया पत्नी नारायण लाल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी सिंहपुर हाल निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. भूमिधारी तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री बी0एस0गौड़

–: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांकः 17.12.2025

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा समरथपुरा पटवार हल्का छापरी तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में हाल आराजी सं0 398, 399, 400, 401 कुल किता 04 कुल रकबा 0.81 हैक्ट0 स्थित है। उक्त आराजीयात में वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा है। व इसी अनुसार काबीज होकर वादीगण व प्रतिवादीगण काश्त कर रहे है। तथा निवेदन किया कि वादपत्र वर्णित उपरोक्त आराजीयात का मुक्कमल बंटवाडा कराया जाकर 1/2 हिस्सा मय लगान के अकेले वादी के हिस्से व खाते दर्ज कराई जावें। व इसी अनुसार 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या एक से चार के अलग दर्ज खाते कराई जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से पूर्व में एकतरफा कार्यवाही की गई।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 05.07.2012 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर कमिश्नर द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 30.04.2014 से प्रस्तुत की गई। उक्त बटवाडा प्रस्ताव पर वादी द्वारा एतराज प्रस्तुत करने से पुनः बटवाडा रिपोर्ट मंगवाई गई। जिसके क्रम में दिनांक 11.05.2018 से नवीन बटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। दौराने वादपत्र प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जमीन बेचान किये जाने से प्रतिवादी संख्या 1 के बजाय किशनीदेवी को पक्षकार बनाया गया। आज दिनांक को बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से एकतरफा कार्यवाही की गई। बहस वादपत्र अन्तिम सुनी गई। वकील वादी द्वारा तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने मे कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की व अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 17.12.2025 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा समरथपुरा पटवार हल्का छापरी तहसील कपासन के हल्के बैरूनी मे हाल आराजी सं0 398, 399, 400, 401 कुल किता 04 कुल रकबा 0.81 हैक्ट0 स्थित है, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 11.05.2018 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

सहायक कलक्टर
(फास्ट टेक), कपासन

1. नारायण लाल, रणजीत पिता रतनलाल जाति खटीक हिस्सा 1/2, किशनलाल पिता रामा जाति खटीक हिस्सा 1/2 सा0 सिंहपुर

क.स.	आ0रा0	रकबा (हे0)
1	399/1	0.36
योग	कुल किता 01	0.36

2. किशनीदेवी पत्नी भेरूलाल हिस्सा 1/2, नारायणलाल, कमली, रतनी पिता मांगीलाल हिस्सा 1/2 जाति खटीक सा0 सिंहपुर खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (हे0)
1	399/2	0.32
2	398	0.03
3	400	0.03
योग	कुल किता 03	0.38

3. नारायण लाल, रणजीत पिता रतनलाल जाति खटीक हिस्सा 1/4, किशनलाल पिता रामा जाति खटीक हिस्सा 1/4, किशनीदेवी पत्नी भेरूलाल हिस्सा 1/4, नारायणलाल, कमली, रतनी पिता मांगीलाल हिस्सा 1/4 जाति खटीक सा0 सिंहपुर खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (हे0)
1	399	0.02
योग	कुल किता 01	0.02

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मणीलाल [illegible])
सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रेक) कपासन